

Impact Factor – 6.261 | Special Issue - 180 | April 2019 | ISSN – 2348-7143  
UGC Approved Journal List No. 40705

INTERNATIONAL RESEARCH FELLOWS ASSOCIATION'S  
**RESEARCH JOURNEY**  
Multidisciplinary International E-research Journal

**SOCIAL AND SCIENCE**  
**INNOVATION**

- EXECUTIVE EDITOR OF THE ISSUE -  
Dinesh R. Jaronde

- CHIEF EDITOR -  
Dr. Dhanraj T. Dhangar

Printed By : **PRASHANT PUBLICATIONS, JALGAON**

April  
2019

For Details Visit To : [www.researchjourney.net](http://www.researchjourney.net)

Printed By :  
Prashant Publications  
Wahar Arts, Science & Commerce College  
Andur Tal. Tuljapur

## डॉ. बाबासाहब आंबेडकर और जलनीति

प्रा. डॉ. एम. बी. बिराजदार

“जीवन था उनका संघर्षों से भरा  
फिर भी अपने हर वादे को किया पुरा ।  
देशहित में किया संविधान निर्माण  
गरीबों निर्बलों के जीवन में डाले नये प्राण  
उनके दिखाये रास्ते पर हमें चलना होगा,  
संविधान की बातों पर अमल करना होगा ।”

बहुमुखी प्रतिभा के धनी, स्वतंत्र भारत के निर्माता, संविधान शिल्पी, विश्वरत्न डॉ. बाबासाहब आंबेडकर एक प्रभासंपन्न अलौकिक व्यक्तिमत्त्व थे । डॉ. आंबेडकर का भारत के विकास में बड़ा योगदान रहा है। एक अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद और कानून के जानकार के तौर पर डॉ. आंबेडकर ने आधुनिक भारत की नींव रखी थी। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था। श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन भी किया था । वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्यायमंत्री भारतीय संविधान के जनक एवं भारत गणराज के निर्माता थे ।

डॉ.बाबासाहब आंबेडकर का घटनातज्ञ, अर्थतज्ञ, कृषितज्ञ, विधिवेत्ता और जलतज्ञ के रूप में योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। क्योंकि दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड परियोजना और सोन नदी परियोजना जैसे ८ बड़े बांधों को स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाई थी । श्री अजय टोके के शब्दों में “इन परियोजनाओं के संदर्भ में रायों में अनेक मतमतांतर थे । बाबासाहब के सफल प्रयास से मतमतांतर दूर हो गये । आर्थिक जिम्मेदारी पूर्ण किया गया, स्वायत्त महामंडल स्थापित की गयी और उत्साही अभियंताओं ने प्रकल्प जिम्मेदारी से शुरू किया । बाबासाहब का प्रयत्न, निर्णयक्षमता, समेट आदि अनेक पहलू निश्चितही प्रेरणादायी है ।”

जल एक प्राकृतिक संसाधन है । जल संसाधन का संबंध संपूर्ण मानव जीवन, मानव सभ्यता एवं संस्कृति से निकट तथा बहुत गहरा रहा है । जल मानव जीवन के लिए नितांत आवश्यक तथा पवित्र माना जाता है । इसीलिए जलसंसाधन की राष्ट्रीय स्तर पर नियोजन, विकास, कार्यान्वयन और प्रबन्धन की आवश्यकता है । राष्ट्रीय जलनीति यह स्पष्ट करती है कि, जल एक दुर्लभ और पवित्र साधन है । जल संसाधन की परियोजनाएँ बहुउद्देशीय होनी चाहिए।

जैसे कि पेयजल, सिंचाई, जलविद्युत निर्माण, बाढ़ नियंत्रण तथा उद्योग के लिए होना चाहिए। देश की जलनीति बनाने तथा संसाधन विकास के लिए बहुत सारों शास्त्रज्ञों तथा अभियंताओं ने अपना योगदान दिया है इन विभूतियों में सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरया. डॉ.बाबासाहब आंबेडकर, डॉ.रायबहादूर, ए.एन. खोसला, डॉ.के. एल.राव, डॉ.मेघनाद साहा आदि, का जल संसाधन विकास के लिए विशेष योगदान रहा है । भारत निरंतर विकास की दिशा में बढ़ रहा है । औद्योगिक उत्पादन के वृद्धि के साथ-साथ अनेक संस्थान भी विकसित हुए हैं। विकास की उपलब्धि के फलस्वरूप हमारे देश ने विश्व के अग्रगण्य औद्योगिक देशों में स्थान प्राप्त कर लिया है । विकास के कारण आर्थिक संपन्नता आई है । इस विकास के लिए जल संसाधन क्षेत्र का एक अहम योगदान रहा है । देश के विकास

के लिए डॉ. बाबासाहब आंबेडकर सन १९४२ से १९४६ के दौरान वायसराय के मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री के रूप में थे । उन्होंने बहुउद्देशीय सिंचाई तथा नौचालन आयोग, केंद्रीय जलआयोग, दामोदर नदी घाटी निगम, महानदीपर हीराकुंड बांध का निर्माण और सोन नदी परियोजना यशस्वी करने के लिए योगदान दिया है। डॉ.डी.टी.गायकवाड के शब्दों में- “डॉ.बाबासाहब आंबेडकर ने विकसित किया हुआ “बहुउद्देशीय जलाशय और बहुउद्देशीय नियोजन आदि संकल्पना के कारण देश हरित क्रांति और अन्न सुरक्षा की ओर प्रगति कर रहा है । डॉ. आंबेडकर का वैज्ञानिक दृष्टिकोण आज के इस प्रकल्प का नींव है ।”

डॉ. बाबासाहब आंबेडकर की अर्थशास्त्र, राजशास्त्र तथा संवैधानिक कानून के क्षेत्र में बुद्धिमत्ता तथा कल्पना अलौकिक थी । श्रममंत्रालय को जल एवं विद्युत नीति और नियोजन के फायदे को समझना डॉ. आंबेडकर की भूमिका के पहलू को उजानगर करना जरूरी है ।

### डॉ. आंबेडकर की जलवर्धक भूमिका :

डॉ. बाबासाहब आंबेडकर ने २० जुलाई १९२० को वायसराय के मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री के रूप में कार्यग्रहण किया । श्रमविभाग के साथ-साथ उनको सिंचाई और विद्युत शक्ति विभाग का भी कार्यभार सौंपा गया। तब डॉ.बाबासाहब ने युद्धोत्तर पुनर्निर्माण समितिद्वारा अपनी जलसंसाधन तथा बहुउद्देशीय नदी घाटी विकास नीति अपनाई । इस समितिमें केंद्र सरकार, रिसायतों की सरकारें, तथा व्यापार उद्योग और वाणिय के प्रतिनिधि भी शामिल थे । मंत्री के रूपमें उनतीनों विभागों के सचिव डॉ.बाबासाहब आंबेडकर की अध्यक्षता में कार्य करते थे। डॉ.आंबेडकर क जलसंवर्धन के बारे में कार्य करते थे । डॉ.आंबेडकर के जलसंवर्धन के बारे में विचार उल्लेखनीय तथा सराहनीय थे । डॉ. सुखदेव थोरात के शब्दों में - “डॉ.बाबासाहब कहते थे कि, यह सोचना गलत है कि पानी की बहुतायत कोई संकट है, मनुष्य को पानी की बहुतायत के बजाय पानी की कमी के कारण बाढ़ कष्ट

भोगने पडते है। कठिनाई यह है कि प्रकृति जल प्रदान करने में केवल कंजूसी ही नहीं करती कभी सुख से सताती है तो कभी तूफान ला देती है। परंतु इससे इस तथ्य पर कोई अन्तर नहीं पडता कि जल एक सम्पदा है। इसका वितरण अनिश्चित है। इसके लिए हमें प्रकृति से शिकायत नहीं करनी चाहिए बल्कि जल संरक्षण करना चाहिए।<sup>3</sup>

सन १९४२-४६ में राष्ट्रीय जलनीति अपनाई गई। तब डॉ.बाबासाहब आंबेडकर स्वयंभी संबंधित विचार-विमर्श में सक्रिय सहभागी थे। १५ नवम्बर १९४३ से लेकर ३ नवम्बर १९४५ तक उन्होंने श्रममंत्री के रूप में पाँच संगोष्ठियों को संबोधित किया था। इस उपलक्ष्य में उन्होंने तकनीकी संस्थाओं का निर्माण किया। केंद्रीय जलमार्ग, उर्जा तथा अंतर राष्ट्रीय नौचालन आयोग के बाद में नामान्तरण केंद्रीय जलआयोग हुआ। बहुउद्देशीय जलसंधान विकास, दामोदर नदी घाटी परियोजना, महानदी बहुउद्देशीय परियोजना आदि संकल्पनाओं का निर्माण किया गया। डॉ. सुखदेव थोरात के शब्दों में - “डॉ. बाबासाहब आंबेडकर की दूरदृष्टि असामान्य थी। उन्हें राजनीति, अर्थनीति और रायघटना के संबंध में प्रगाढ़ ज्ञान था। सन १९४२ से १९४६ के काल में उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग विकास के लिए किया यह स्पष्ट दिखाई देता है। पानी के संदर्भ में देश स्तर पर एक वाक्यता नहीं थी। रायों को मार्गदर्शन करनेवाला कोई नहीं था। वही स्थिति विद्युत क्षेत्र में थी। विद्युत निर्मिति, वितरण, विनियोग आदि में समन्वय, साधनेवाली तांत्रिक संस्था नहीं थी। बाबासाहब ने इस क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया।”<sup>4</sup>

इसप्रकार डॉ. बाबासाहब आंबेडकर ने भारत की जिन दो बड़ी परियोजनाओं का निश्चय किया वह है दामोदर और महानदी परियोजना।

#### दामोदर नदी घाटी प्राधिकरण का गठन :

डॉ. बाबासाहब आंबेडकर ने ३ जनवरी १९४४ की दामोदर नदी घाटी परियोजना की पहली सांगोष्ठ में कहा था कि, दामोदर परियोजना बहुउद्देशीय होनी चाहिए। इस परियोजना का बाढ़ की समस्या के साथ-साथ सिंचाई, उर्जा और नौचालन के लिए इस्तेमाल होना जरूरी है। इसलिए नदी घाटी प्राधिकरण, केंद्रीय जल तथा नौचालन आयोग केंद्रीय तकनीकी उर्जा मंडल के निर्माण में योगदान रहा। पानी के बहुउद्देशीय विकास के लिए उनके द्वारा उठाए गए कदम साहसी कदम माने जाते हैं।

श्री अजय ढोक के शब्दों में - “दामोदर परियोजना के संदर्भ में बाबासाहब के वक्तव्य और विचार से स्पष्ट होता है, कि. भारत सरकार के लिए यह प्रकल्प स्वागतार्ह है। यह परियोजना नदी घाटी नियमन, बाढ़ नियंत्रण, सिंचन नियोजन, अकाल मुक्तता और आवश्यक उर्जा स्रोत आदि की प्राप्ति की आशा दिखाई देती है। यह परियोजना बंगाल और बिहार सरकार के लिए स्वागतार्ह रहेगी। अगर वे इसकी क्षमता का उपयोग करेंगे तो निश्चित ही फल दायी है।”<sup>4</sup>

स्पष्ट है कि उस किस समय बंगाल की दामोदर नदी में ‘दुःख का मूल’ कही जानेवाली दामोदर वस्तुतः भारत की राष्ट्रीय समस्या के रूप में उभर कर आ रही थी। बाढ़ की समस्या बहुत गंभीर थी।

अनाज की कमी तथा यातायात की समस्या खड़ी हुई थी। १७ जुलाई १९४३ को दामोदर नदी में आई

बाढ़ के कारण गंभीर संकट उत्पन्न हो गया था। पाँच दिनों के लगातार जल रिसाव के कारण यह दरार १००० फुट चौड़ी हो गयी। आई बाढ़ से ७० से अधिक गांव प्रभावित हुए थे।

१८ हजार मकान नष्ट हो गये थे। इस बाढ़ में मानव जीवन की हानि बहुत हुआ करती थी। इसलिए उस समय के बंगाल के रायपाल लार्ड इ.जी.केसी ने श्री महाराजाधिकार वर्धमान की अध्यक्षता में एक दस सदस्यीय जल समिति गठित की थी। जिसमें मेघनाद साहा जैसे विख्यात वैज्ञानिक भी शामिल थे। श्री मेघनाद साहा अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य थे। समिति ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, वह रायपाला द्वारा केंद्र सरकार के पास उचित कार्यवाही के लिए भेजी गई। बंगाल की समस्या हल करने के लिए डॉ.बाबासाहब आम्बेडकरने गवर्नर जनरल लॉर्ड वेव्हेल अभियंता के साथ काम करने की इच्छा प्रकट की थी।

अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर आयोजन करना निश्चित किया गया। बाढ़ नियंत्रण, जलसिंचाई और जलविद्युत निर्माण इन तीन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए केंद्र सरकार के अधीन डब्ल्यू. एल. व्हर्दवान नामक एक अमेरिकन ने दामोदर नदी घाटी परियोजना का प्रस्ताव तैयार किया। प्राथमिक प्रतिवेदन के अनुसार एक दस लाख क्यूसेक्स के बाढ़ के आधार पर आठ बाँधों के निर्माण की योजना बनाई गई। तिलैया, देवोल बारी, मैथन, बाँध बराकर नदी पर बेरमो, अथर सनोलापुर बाँध दामादर नदी पर, बोकोरे तथा कोनार बाँध का बनाया जाना तैयार हो गया। इस के उपरांत चार विशाल बांधों का निर्माण हुआ। उनका मुख्य उद्देश्य उर्जा निर्माण, कृषि सिंचाई, तापीय केंद्र और औद्योगिक विकास के लिए किया गया। तिलैया बाँध ४५ मीटर उँचाई, कोनार बाँध ५८ मीटर उँचाई, मैथॉन बाँध ५६ मी उँचाई और पानशेत बाँध ४९ मी.उँचाई का निर्माण क्रमशः १९५३, १९५५, १९५७ और १९५९ में पूरा हुआ।

इस प्रकार दामोदर नदी घाटी परियोजना से बहुउद्देशीय विकास, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और परिणामस्वरूप अकाल से मुक्ति तथा बिजली आपूर्ति की संभावना थी। इसलिए बंगाल और बिहार की सरकार ने इसका उत्साह से स्वागत किया। क्योंकि इस परियोजना से १) ४,७००,०० एस क्षेत्र में नियमित जलाशय से जल उपलब्ध होने वाला था। २) ७६०,००० एकड़ क्षेत्र की अविरत सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्धता ३) ३००,००० किलो वॉट बिजली ४) ५० लाख लोगों का प्रत्यक्ष रूपसे कल्याण होनेवाला था।

#### महानदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना :

डॉ. बाबासाहब आंबेडकर ने कटक में ओडिशा की नदियों के विकास की बहुउद्देशीय परियोजना पर संबोधन दिया। बीज भाषण उद्बोधक तथा महत्वपूर्ण है। डॉ.आंबेडकर ओडिशा की बाढ़ की समस्या से

मुक्ति चाहते थे। ओडिशा में मलेरिया से भी मुक्ति पाना चाहते थे। नौचालयन तथा सस्ती बिजली तैयार करके वे अपनी जर्मता का जीवन स्तर सुधारना चाहते थे। उसके सभी उद्देश्य सौभाग्य

से एक योजना से पूरे हो सकते हैं। अर्थात् जलाशयों का निर्माण और नदियों के बह जानेवाला पानी का भण्डारण इस बाढ़ की समस्या को सुलझाने के लिए सन १९२८ में उड़ीसा में आई बाढ़ की जाँच के लिए सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरया के नेतृत्व में उड़ीसा बाढ़ नियंत्रण जाँच समिति का गठन किया गया। विश्वेखद्या जैसे प्रख्यात अभियन्ता ने दो रिपोर्ट पेश की थी। उस समय डॉ.आम्बेडकर दामोदर नदी परियोजना में व्यस्त थे। उनके कार्य की सराहना करते हुए उड़ीसा के प्रसिद्ध नेता हरकिशन मेहता ने बाबासाहब को पत्र लिखा और महानदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना का विकास करने की इच्छा प्रकट की।

सन १९४५ में उड़ीसा नदी बाढ़ समस्या भारत सरकार के पास सुलझाने के लिए भेजी गयी। वैसे डॉ.ए.एन.खोसला, केंद्रीय जलमार्ग, सिंचाई तथा नौचालन आयोग के अध्यक्ष के नाते भेंट की। उड़ीसा राय के गवर्नर के सलाहकार बी.के.गोखले तथा मुख्य अभियंता रायबहादुर ब्रिज नारायण इस नतीजे पर पहुँचे की उड़ीसा राय की बाढ़, अकाल, गरीबी और बीमारी के निर्मूलन के लिए नदी जैसे जलसंपदा का, जलाशय का निर्माण कर के पानी का नियंत्रण, संवर्धन तथा विनियोग कर सकते हैं। इस प्रकार बाढ़ नियंत्रण करके सिंचाई, नौचालन, जलविद्युत निर्मिती, मत्स्यपालन और मनोरंजन के लिए पानी का उपयोग हो सकता है।

सन १९३७ में सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरया के प्रतिवेदन ने बहुउद्देशीय नदी घाटी विकास करने की सिफारिश की थी। बहुउद्देशीय विकास अमेरिका में टेनेसी नदी घाटी परियोजना, कोलाम्बिया बेसिन विकास के अंतर्गत घाटी विकास किया गया था।

डॉ.ए.एन.खोसला के नेतृत्व में महानदी पर बाँध निर्माण करने का फैसला किया गया।

- १) इन तीनों बाँधों के निर्माण में अतिरिक्त जल का इस्तेमाल बाढ़ नियंत्रण ही नहीं बल्कि सिंचाई, नौचालन और उर्जा निर्माण के लिए करना।
- २) चिरस्थायी सिंचाई के लिए नहर प्राणाली निर्माण करना।
- ३) सस्ती उर्जा का प्रयोग, कृषि उद्योग एवं क्षेत्र की बड़ी खनिज संपत्ति के उचित लाभ उठाने के लिए तीनों बाँधों पर उर्जा सयंत्र निर्माण।
- ४) जलविकास और मलेरिया रोधी कार्य
- ५) मत्स्यपालन एवं उत्पादन सुविधा का प्रबन्ध। इस प्रकार नदी विकास प्रबन्धन के लिए देशस्तर पर जलनीति का निर्माण हो गया।

डॉ.प्रदीप आगलावे के शब्दों में “डॉ.बाबासाहब अम्बेडकर ने भारत के नियोजित विकास का मात्र विचार नहीं किया बल्कि भारत के विकास के संदर्भ में अत्यंत महत्वाकांक्षी बहुउद्देशीय प्रकल्प का निर्माण किया। बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रकल्प की संकल्पना, दामोदर और हीराकुड नदी घाटी प्रकल्प की पूर्ण रूप रेखा तैयार की। फलस्वरूप बाढ़ समस्या टल गयी, लाखों किसानों की खेती के लिए सिंचन की व्यवस्था हो गयी औद्योगिक विकास के लिए विद्युत

निर्मिती की गई।”

### राष्ट्रीय जलनीति का उदय :

सन १९४२-४६ के कालखंड में डॉ.बाबासाहब आंबेडकर का भारत की विकास नीति में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनकी देश की जल और विद्युत उर्जा नीति स्थापना में अहम भूमिका है।

१९४० के दशक में देश की आर्थिक नीति तय हो रही था। उसकी स्थापना और स्वीकारना शुरू हुआ था। केंद्र शासन कॅबिनेट का पूर्ण विकास समिति ने सिंचाई विद्युत तथा औद्योगिक विकास की नीति अपनाने के लिए अनुशासनात्मक प्रक्रिया पूरी की। जल विकास १९३५ के कानून के तहत सिंचाई तथा बिजली शक्ति रायशासन तथा प्रान्तीय सरकार के अधिनस्त विषय थे। डॉ. आंबेडकर क्षेत्रीय विकास तथा बहुउद्देशीय विकास परियोजना द्वारा पूरे देश के अंदर जल संसाधन नीति लागू करना चाहते थे। इसलिए पानी का विषय उन्होंने केंद्र सरकार के अधीन लाया। डॉ. बाबासाहब ने संविधान में प्रावधान किया क्योंकि उस दरमियान बाबासाहब श्रममंत्री तथा रायघटना मसौदा समिति के अध्यक्ष की दोहरी भूमिका कर रहे थे। इस नीति को अपनाने के लिए श्रम विभाग ने दो तकनीकी संस्थानों की नवम्बर १९४४ में केंद्रीय तकनीकी विद्युत मंडल (CTBT) तथा ५ अप्रैल १९४५ में केंद्रीय जलमार्ग सिंचाई तथा नौचालन आयोग स्थापना की। केंद्रीय विद्युत मंडल को देश के आँकड़े संकलन करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य सौंपे गए। इससे पूरे देश में विद्युत शक्ति पूर्ति, नियोजन, आंबटन तथा कार्यान्वयन इस प्रक्रिया को बढ़ावा मिला। आज के केंद्रीय जल आयोग के जल संसाधन कार्य, तथ्य संकलन, नियोजन, समन्वयन तथा कार्यान्वयन करने की भूमिका सौंपी गयी।

अन्तरराष्ट्रीय नदी घाटी विकास केंद्र शासन के दायरे में लाया गया। राय, प्रान्तीय तथा केंद्र सरकार के संयुक्त वर्तमान विकास करने का प्रावधान लाया गया। इस राष्ट्रीय जलनीति को बहुउद्देशीय नदी घाटी विकास परियोजना का अंग माना गया। जिससे क्षेत्रीय विकास करने के लिए नियोजन में जल संसाधनों को बहुउद्देशीय उपयोग और सामाजिक आर्थिक तथा पर्यावरण विकास के महत्वपूर्ण पहलू माने जाने की शुरुआत हो गयी। इसलिए दामोदर, महानदी, सोन नदी और कोसी नदी का पहली बार बहुउद्देशीय उपक्रम माना जाता है।

डॉ.डी.टी. गायकवाड के शब्दों में “डॉ. बाबासाहब अम्बेडकर ने इस देश की पूरी जल संसाधन विकास नीति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमें डॉ.बाबासाहब अम्बेडकर के जन्मदिन १४ अप्रैल को जल संसाधन दिवस के रूप में मनाना चाहिए। उनका व्यक्तित्व तथा विचाराधारा पूर्णतः और सही मायने में समझने की नितांत आवश्यकता है। राष्ट्र कौनसी दिशा में जाना चाहिए, उसका सटीक आरेखन ही उनके विचारों में स्पष्ट दिखाई देता है, अर्थविषयक, कृषिविषयक, पर्यावरण तथा जल संसाधनविषयक दृष्टिकोण पूरी गम्भीरता से न लेने से ऐसी दुर्दशा देश को झेलनी पड रही है”।<sup>७</sup>

इस प्रकार डॉ.आंबेडकर का बहुउद्देशीय नदी घाटी विकास का मॉडल आज हिमालय की बहती नदियों के बारे में अमल किया जा सकता है। गंगा, ब्रह्मपुत्रा, यमुना, कोसी, गंडक आदि नदियों के

जल प्रबन्धन के बारे में सोचना जरूरी हुआ है। पानी की दुर्लभता, पानी की बढ़ती माँग, बढ़ते हुए शहरीकरण, गहराते पर्यावरण की समस्या बदलाव से देश को जलसंकट हो सकता है। जल की आवश्यकता के लिए अभसे जल प्रबंधन, नियोजन तथा संवर्धन के बारे में प्रणाली विकसित कर जल बचाया जा सकता है। बहुउद्देशीय विकास पहलू स्वीकार कर नदियों पर विचार करना अनिवार्य किया जा सकता है।

#### संदर्भ :

- १) डॉ. ढोके अजय, 'दामोदर घाटीप्रकल्प' सहआयुक्त, आयकर विभाग पुणे, 'शेतकरी' भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विशेषांक अप्रैल २०१७ पृ.४०
- २) डॉ. गायकवाड डी.टी. 'नदी घाटी शाश्वत विकास और मौलिक चिंतन' सहायक ग्रंथालय तथा माहिती अधिकारी, 'शेतकरी' भारत रत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर विशेषांक अप्रैल २०१७ पृ.५०.

- ३) डॉ.थोरात सुखदेव 'भारतीय पानी और विद्युत नियोजन', मानव संसाधन विकास मंत्रालय, दिल्ली 'शेतकरी' भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विशेषांक अप्रैल २०१७ पृ.१५
- ४) वही पृ.११
- ५) श्री.ढोके अजय 'दामोदर घाटीप्रकल्प' सहआयुक्त, आयकर विभाग पुणे, 'शेतकरी' भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर विशेषांक अप्रैल २०१७ पृ.४०
- ६) डॉ.आगलावे प्रदीप - 'देश के सर्वांगीण विकास के लिए योगदान प्रमुख डॉ.आंबेडकर विचारधारा विभाग नागपुर, शेतकरी पृ.३९
- ७) डॉ.गायकवाड डी.टी. 'नदी घाटी शाश्वत विकास और मौलिक चिंतन' सहायक ग्रंथालय तथा माहिती अधिकारी, 'शेतकरी' भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर विशेषांक अप्रैल २०१७ पृ.५०.



Principal

Jawahar Arts, Science & Commerce College,  
Andur Tal. Tuljapur Dist, Osmanabad